(c) the extent upto which the exports of Indian Textiles are likely to be adversely affected after the transfer of Hong Kong to China; and

(d) the manner in which Government propose to meet the challenge of new rules and import curbs imposed by rich nations and to help the textile industry to increase its exports?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI R.L. JALAPPA): (a) and (b) Yes, Sir. Government have been constantly studying the problems concerning the textile exports either on their own or on representations received from interests concerned. Where necessary, consultations are held with Ministries concerned and professional bodies. The major problems faced by textile exports are, by way of illustrations, the following:

(1) Continued stagnant conditions in the major markets like European Union and the U.S.

(2) Lack of modern machineries of production in the weaving, processing and garment sectors.

(3) Scarce availability of quality inputs like fabrics, accessories etc.

(4) Emergence of cost and quality-competitive suppliers in South and South East Asia; and

(5) Still-prevalent protectionist measures in buyer countries.

(c) The exports of our textile products are not likely to be adversely affected after the transfer of Hong Kong to China, at present.

(d) The challenge of new rules and import curbs imposed by rich nations are met by mutual consultations or through the organisations of the WTO. However, in order to boost the exports of textiles, Government have been taking a number of steps, which include encouraging exporters to participate in buyer-seller meets; fairs and exhibitions; enabling import of capital goods at concessional duty for export production; special arrangements for duty free import of raw materials for export production; ensuring increased availability of export credit etc.

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध झूठे मुकदमे

*8. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई सांसदों ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाने और उन्हें तंग करने के संबंध में पत्र लिखे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में अन्य सूत्रों से भी जानकारी प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस कार्यवाही का क्या परिणाम निकला है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ) चूंकि "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य के विषय हैं, अतः प्राप्त अभ्यावेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजे गये थे। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं को झूठे मामलों में फंसाने के आरोपों के सम्बन्ध में अपनी गम्भीर चिन्ता भी जतायी थी और मुख्य मंत्री को सलाह दी थी कि यह सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाए कि राज्य प्रशासन का कार्यकरण निष्पक्ष और पक्षपात रहित हो। गृह सचिव ने भी राज्य प्रशासन पर इस बात के लिए जोर दिया था कि असंगत बातों के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र को अवगत कराया कि कानून को नितान्त पक्षपात रहित ढंग से लागू करने के लिए राज्य प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निदेश दिये गये हैं।